



2026:AHC:31100

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2089/2026

रामजीत सिंह यादव

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: प्रवीण कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह स्वयं को एक लेखपाल बताता है, जो 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हो गया था; उसे 14.03.2015 को निलंबित किया गया था और उसके बाद, 11.05.2015 को उसे बहाल कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे वेतन का बकाया 40,262 रुपये का भुगतान किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निस्तारण सर्वप्रथम तीसरे प्रतिवादी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जखनिया, जिला गाजीपुर द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय में दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, तीसरे प्रत्यर्थी यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जखनिया, जिला गाजीपुर के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरा प्रत्यर्थी दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"